शासकीय मयूरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय

चांपा, जिला : जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) द्वारा मूल्यांकित 'बी' ग्रेड प्राप्त संस्थान)

सा विद्या या विमुक्तये

प्रवेश विवरणिका

ADMISSION & INFORMATION BROCHURE

Govt. Mayoordhawaj Mahadani Raja P. G. College CHAMPA

Distt.: Janjgir-Champa (C.G.)

Scanned by CamScanner

पुरोवाक्

महाविद्यालय में प्रविष्ट विद्यार्थीगण का स्वागत करते हुए उनके उज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

विवरणिका किसी भी महाविद्यालयका आईना होता है, संस्था के प्रवेश नियमों ,पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रमों केसाथ–साथ तमाम शैक्षणिक तथा शैक्षणेत्तर गतिविधियों का उल्लेख रहता है। इसलिये यह प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है।

सहशिक्षा केन्द्रित इस महाविद्यालय में कला, वाणिज्य, विज्ञान के स्नातक, 09 विषयों में स्नातकोत्तर तथा इसके साथ स्ववित्तीय योजनान्तर्गत अनेक रोजगार–परक पाठ्यक्रमों की अध्ययन व्यवस्था है।

महाविद्यालय का NAAC (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद) बैंगलोर द्वारा सन् 2016 में मूल्यांकन कर "बी" ग्रेड प्रदान किया गया तथा महाविद्यालय में NAAC (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्) बैंगलोर द्वारा द्वितीय चक्र मूल्यांकन किया गया एवं संस्था को "बी" ग्रेड प्राप्त हुआ।

छात्र–छात्राओं के पठन–पाठन हेतु सुव्यवस्थित पुस्तकालय है, जिसमें सभी विषयों के पुस्तकों के साथ–साथ अनके पत्र–पत्रिकाएं, शोध पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र उपलब्ध है। महाविद्यालय में जगह–जगह पर सी.सी.कैमरे लगाये गये है तथा पुस्तकालय के 10 हजार पुस्तकों को कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया जा रहा है।

खेल–कूद के लिये क्रीड़ा विभाग में आधुनिक उपकरण तथा समाज सेवा कार्यक्रम में राष्ट्रीय सोवा योजना की ईकाई सचांलित है।

महाविद्यालय में इंदिरा गाँधी (मुक्त) विश्वविद्यालय (इग्नू), नई दिल्ली का अध्ययन केन्द्र तथा कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.), के अन्तर्गत बी.जे.एम.सी. पाठ्यक्रम संचालित है।

महाविद्यालय में यू.जी.सी. योजनान्तर्गत नेटवर्क रिसोर्स सेन्टर तथा हेल्थ केयर की सुविधा है।

इस संस्था के बहुआयामी विकास हेतु जनभागीदारी समिति तथा महाविद्यालय स्तर पर विभिन्न समितियां संचालित है, जिनके मार्गदर्शन में अनेक शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर गतिविधियां जारी रहती है।

आशा है, अध्ययनरत् सभी छात्र–छात्राएँ महाविद्यालय के नियमों का का पालन करते हुए संस्था के विकास में अपना योगदान प्रदान करेंगे तथा स्वयं के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को राष्ट्र समाज और परिवार के दायरे में आकर देते हुए वैश्विक होने का उपक्रम करेंगे– "उतिष्ठत् जाग्रत वरान बोधयात्" संज्ञान के स्तर पर आत्मसजग और सक्रिय हों।

डॉ. योगेन्द्र नाथ झा
प्राचार्य

महाविद्यालय परिवार

Scanned by CamScanner

शासकीय मयूरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय
चांपा, जिला : जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

प्रवेश विवरणिका

मूल्य : 60 रूपये

GOVT. MAYOORDHWAJ MAHADANI RAJA POST GRADUATE COLLEGE, CHAMPA
DISTT.: JANJGIR-CHAMPA (C.G.)
Website : www.gmmrcg.co.in

Scanned by CamScanner

शासकीय मयूरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय चाम्पा
जिला : जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

महाविद्यालय का परिचय -

शासकीय मयूरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय चांपा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 2 एफ एवं 12 बी के अंतर्गत पंजीकृत एवं गुरूघासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से संबंद्ध शैक्षणिक संस्थान है, जिसकी संस्थापना 1972 में की गई। महाविद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उन्हें एक उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है।

वर्तमान में महाविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर पर 14 विषय उपलब्ध है जिनमें विज्ञान संकाय के अंतर्गत - पादप विज्ञान, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, टसर टेक्नोलॉजी, भौतिक शास्त्र, गणित, कम्प्यूटर विज्ञान, इसी प्रकार कला संकाय के अंतर्गत - विभिन्न संयोजनों के रूप में समाजशास्त्र, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र तथा वाणिज्य संकाय उपलब्ध है। इसी तरह स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में रसायन विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य, गणित,समाजकार्य, समाज शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान उपलब्ध है। जनभागीदारी स्व वित्तीय योजना के अंतगत महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2000 से विभिन्न रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारंभ किये है। महाविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उच्च गुणवत्ता एवं अध्ययन अध्यापन हेतु अनुकूल वातावरण से एक ऐसी छबि बनाई है जो कि विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों को भी आकर्षित कर रही है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद बंगलोर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2015-16 में महाविद्यालय को ''बी'' ग्रेड प्रदान किया गया है। शासकीय मयूरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय चांपा ने प्रोत्साहन एवं शिक्षा के लक्ष्य में एक नया आयाम प्रस्तुत किया है जिससे महाविद्यालय ने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई से समझौता करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एड्स काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर के रूप में अपनी सक्रियता निभायी है।

इग्नू के अध्ययन केन्द्र के माध्यम से 24 विविध स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय, रायपुर से संबद्ध बी.जे.एम.सी पाठ्यक्रम उपलब्ध है।

Scanned by CamScanner

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषय समूह एवं संकाय
(COURSE OFFERED AT GRADUATE LEVEL WITH SUBJECT GROUP & FACULTY)

कला संकाय

बी.ए. प्रथम वर्ष :

अ. अनिवार्य विषय
1. आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा
2. पर्यावरण अध्ययन

ब. ऐच्छिक विषय

निम्नांकित विषयों में से किन्ही तीन विषयों का चयन करना है।

विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तन संभावित है।

1. समाजशास्त्र 2. अर्थशास्त्र 3. राजनीति शास्त्र
4. इतिहास 5. हिन्दी साहित्य 6. अंग्रेजी साहित्य

बी.ए. पाठ्यक्रम के तीनों वर्षों के विषय एक ही होंगे, विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

विज्ञान संकाय

बी.एस-सी प्रथम वर्ष

अ. अनिवार्य विषय
1. आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा
2. पर्यावरण अध्ययन

ब. निम्नलिखित विषयों समूहों में से कोई एक समूह -

1. भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित
2. रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, टसर टेक्नालॉजी
3. भौतिक शास्त्र, इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, गणित
4. भौतिक शास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान, गणित
5. रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, टसर टेक्नालॉजी
6. रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र

(कम्प्यूटर विज्ञान/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी स्ववित्तीय योजना के पाठ्यक्रम है। अत: इसके लिए प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों को नियमित शुल्क के अतिरिक्त पाठ्यक्रम शुल्क भी लेना होगा।)

बी.एस.सी. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए प्रथम वर्ष के विषय ही लागू होंगे।

Scanned by CamScanner

वाणिज्य संकाय

1. **बी.कॉम. प्रथम वर्ष -**

अ.	अनिवार्य विषय	1.	आधार पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा
		2.	पर्यावरण अध्ययन
ब.	अनिवार्य समूह	1.	वित्तीय लेखांकन एवं व्यावसायिक गणित
		2.	व्यावसायिक संचार एवं व्यावसायिक नियमन एवं रूपरेखा
		3.	व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक पर्यावरण

2. **बी.कॉम. द्वितीय वर्ष-**

अ.	अनिवार्य विषय	1.	आधार पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा
ब.	अनिवार्य समूह	1.	निर्गमित लेखे एवं लागत लेखांकन
		2.	व्यावसायिक सांख्यकीय एवं उद्यमिता के तत्व
		3.	व्यवसाय प्रबंध एवं कंपनी अधिनियम

3. **बी.काम. तृतीय वर्ष-**

अ.	अनिवार्य विषय	1.	आधार पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा
ब.	अनिवार्य समूह		वैकल्पिक
	1. आयकर (प्रत्यक्षकर)	1.	विपणन के सिद्धांत
	2. अप्रत्यक्षकर	2.	अंतर्राष्ट्रीय विपणन
	3. प्रबंधकीय लेखांकन		
	4. अंकेक्षण		

Scanned by CamScanner

महाविद्यालय में स्थापित पुरस्कार/शील्ड/मेडल/निजी छात्रवृत्तियां

1. **श्री शांति सोनी,** पूर्व छात्र एवं महाविद्यालय के मोनोग्राम के आकल्पक/निर्माता, चाम्पा द्वारा महाविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ छात्र/छात्रा को पदक प्रदान किया जाता है।
2. महाविद्यालय के पूर्व छात्र श्री अखिलेश कोमल पांडेय द्वारा अपने पिता स्व. श्री कोमल प्रसाद पांडेय की स्मृति में पुरस्कार हेतु रू. 10000-00 एफ.डी. के रूप में जमा किया गया है, इसी राशि की वार्षिक ब्याज राशि से एम.ए. अंतिम समाजशास्त्र के सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र/छात्रा को पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

ग्रंथालय विभाग

महाविद्यालय में एक समृद्ध ग्रंथालय है। वर्तमान में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की 22845 पुस्तकें, बुक बैंक में 7886 एवं बी.पी.एल. में 450 पुस्तकें उपलब्ध है। ग्रंथालय में विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं शोध-पत्रिका मंगाये जाते हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये नि:शुल्क पुस्तकें प्रदान करने की बुक-बैंक योजना है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्र/छात्रा को संत्रात तक दो छात्रों के बीच एक सेट पुस्तकें नि:शुल्क प्रदान की जाती है, जिन्हे परीक्षा उपरांत वापस लिया जाता है। सामान्य छात्र/छात्राओं को नियमानुसार ग्रंथालय से पुस्तकें प्रदान की जाती है।

1. महाविद्यालय में निर्धारित सुरक्षा निधि जमा करने पर प्रत्येक विद्यार्थी नियमानुसार ग्रंथालय का सदस्य बन जाता है।
2. पुस्तकालय में पुस्तकों का निर्गमन तथा वापस लेना ग्रंथालय के नियंत्रण में रहता हैं जिसके लिये उनके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है। नियमोल्लंघन करने पर छात्र दण्डित होंगे।
3. ग्रंथालय में विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के पठन की सुविधा है।
4. ग्रंथालय में महाविद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं को 15 दिनों के लिये दो पुस्तक निर्गमित की जाती है।
5. ग्रंथालय से ली गई पुस्तक आदि 15 दिनों के बाद न लौटाई गई तो प्रति पुस्तक प्रतिदिन 1/- के हिसाब से अर्थदण्ड देय होगा। जिसका भुगतान शिक्षण शुल्क की किश्त के साथ अनिवार्य रूप से करना होगा।

Scanned by CamScanner

प्रवेश हेतु कक्षावार छात्र संख्या की सूची

क्र.	वि.वि. द्वारा स्वीकृत कक्षा	वि.वि. द्वारा स्वीकृत विषय	वि.वि. द्वारा स्वीकृत छात्र संख्या
1	बी.ए. प्रथम वर्ष	1. आ.पा. (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा) 2. राजनीति शास्त्र 3. अर्थशास्त्र 4. इतिहास 5. समाजशास्त्र 6. हिन्दी साहित्य 7. अंग्रेजी साहित्य 8. पर्यावरण	200 +40 = 2
2.	बी.ए. पूर्व	– तदैव –	200
3.	बी.ए. अंतिम	– तदैव –	200
4.	एम.ए. पूर्व	समाजशास्त्र	40
5.	एम.ए. अंतिम	– तदैव –	40
6.	एम.ए. पूर्व	इतिहास	40
7.	एम.ए. अंतिम	– तदैव –	40
8.	एम.ए.पूर्व (जनभागीदारी द्वारा संचालित)	अंग्रेजी	40
9.	एम.ए. अंतिम	– तदैव –	40
10.	एम.ए.पूर्व	राजनीतिशास्त्र	40
11.	एम.ए. अंतिम	– तदैव –	40
12.	एम.ए. पूर्व	अर्थशास्त्र	40
13.	एम.ए. अंतिम	– तदैव –	40
14.	एम.एस.डब्ल्यू. पूर्व (जनभागीदारी द्वारा संचालित)	सभी अनिवार्य विषय	50
15.	एम.एस.डब्ल्यू. अंतिम –	– तदैव –	50
16.	एम.एस–सी. पूर्व (जनभागीदारी द्वारा संचालित)	रसायन शास्त्र	25 +5 =30
17.	एम.एस.सी. अंतिम –	– तदैव –	25 +5 = 30
18.	एम.एस–सी.पूर्व	गणित	25 +5 = 30
19.	एम.एस–सी. अंतिम	– तदैव –	25 +5 = 30
20.	पी.जी.डी.सी.ए. (जनभागीदारी द्वारा संचालित)	सभी अनिवार्य विषय	50 +10 = 60
21.	एम.काम. पूर्व	सभी अनिवार्य विषय	40

Scanned by CamScanner

22. एम.काम. अंतिम — तदैव — 40

23. बी.एस-सी. प्रथम वर्ष (बायो.)/(गणित) — 120+80=200 = 220

1. आ.पा. (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा)
2. पर्यावरण
3. प्राणीशास्त्र
4. वनस्पति शास्त्र
5. रसायनशास्त्र
6. गणित
7. भौतिक
8. टसर टेक्नॉलाजी — 30 + 40
9. कम्प्यूटर साईंस — 40 +10 = 50

24. बी.एस-सी. द्वितीय वर्ष (बायो.)/(गणित) — तदैव — 120+80+30+40

25. बी.एस-सी. तृतीय वर्ष (बायो.)/(गणित) — तदैव — 120+80+30+40

26. बी.कॉम. प्रथम वर्ष — 100 +20 = 120

1. आ. पा. (हिन्दी भाषा,अंग्रेजी भाषा)
2. पर्यावरण
3. वित्तीय लेखांकन एवं व्यावसायिक गणित
4. व्यावसायिक संचार एवं व्यावसायिक नियमन एवं रूपरेखा
5. व्यावसायिक अर्थशस्त्र एवं व्यावसायिक पर्यावरण

27. बी.कॉम. द्वितीय वर्ष — 100

1. आ. पा. (हिन्दी भाषा,अंग्रेजी भाषा)
2. निर्गमित लेखे एवं लागत लेखांकन
3. व्यावसायिक सांख्यकीय एवं उद्यमिता के तत्व
4. व्यवसाय प्रबंध एवं कंपनी अधिनियम

28. बी.कॉम अंतिम — 100

1. आ. पा. (हिन्दी भाषा,अंग्रेजी भाषा)

वैकल्पिक

1. आयकर (प्रत्यक्षकार) 1. विपणन के सिद्धांत
2. अप्रत्यक्षकार 2. अंतर्राष्ट्रीय विपणन
3. प्रबंधकीय लेखांकन.
4. अंकेक्षण

Scanned by CamScanner

स्वाध्यायी/भूतपूर्व विद्यार्थियों को प्रयोगशाला सुविधा

1. परिस्थिति एवं उपलब्ध साधनों के परिपेक्ष्य में प्राचार्य द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रवेश समय से ही निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार ही होगा।
2. प्रवेशार्थियों की न्यूनतम संख्या 10 एवं अधिकतम 20 होगी, न्यूनतम संख्या से कम प्रवेशार्थी उपलब्ध होने पर कक्षा प्रारंभ नही होगी।
3. यद्यपि प्रवेशार्थी छः माह सत्र हेतु सत्रारंभ में ही प्रवेश लेगा किन्तु लोकहित एवं सामान्य नियमित छात्रों के हित में प्राचार्य स्वयं अध्ययन सत्र का निर्धारण करेंगे।
4. चयनित प्रवेशार्थियों का निम्नानुसार शुल्क एक किश्त में संपूर्ण रूप से पटाने पर ही प्रवेश माना जावेगा।

1.	प्रयोगशाला शुल्क	–	15 × 6	90 रू.
2.	टूट-फूट सामग्री शुल्क	–	10 × 6	60 रू
3.	विकास शुल्क	–		25 रू.
4.	सुरक्षा निधि	–		100रू
			कुल रूपये	**275 रू.**

5. पी.जी.डी.सी.ए./एम.एस.डब्ल्यू./एम.एस-सी., रसायन के लिये प्रायोगिक में (केवल भूतपूर्व विद्यार्थियों के लिए)

1.	प्रयोग शुल्क	–		1000 रू.
2.	विकास शुल्क	–		500 रू.
3.	सुरक्षा निधि	–		500 रू.
			कुल रूपये	**2000 रू.**

बी.एस-सी. कम्प्यूटर साईंस, आई.टी. एवं बी.काम. कम्प्यूटर एप्लीकेशन में 500 रू. सुरक्षा निधि होगी।

नोट :
1. शासन द्वारा समय-समय पर परिवर्तित नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
2. विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 1322/अंक/पात्रता/प्रवेश 03 दिनांक 06.06.03 एवं पत्र क्रमांक 1674 बिलासपुर दिनांक 11.07.03 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को किसी भी कक्षा में प्रवेश देने के पूर्व विश्वविद्यालय से पहले पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। महाविद्यालय में पात्रता-पत्र के अभाव में नियमानुसार प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य स्थित सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिये पात्रता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नही होगी।

Scanned by CamScanner

राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेलकूद विभाग छ.ग. सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यह योजना विश्वविद्यालय के माध्यम से महाविद्यालयीन में छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास एवं चरित्र के विकास तथा उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के उन्नयन के लिये संचालित की जाती है। इस महाविद्यालय में सत्र 1982 से यह योजना लागू है। वर्तमान में आवंटित छात्र संख्या 100 है। प्रवेश योग्यतानुसार दिया जावेगा। कार्यक्रम अधिकारी सर्वश्री डॉ. डी.एन.बंजारे सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें।

महाविद्यालय संबंधी अन्य जानकारियाँ

शुल्क मुक्ति एवं अन्य सुविधाएं -

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अन्य नियमों के अनुसार छात्रों की शुल्क आदि में निम्नलिखित सुविधाएं भी दी जाती है, जिसे नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में भी लागू किया गया है -

1. **कृषक के पुत्र/पुत्रियों को सुविधा -**

निम्न आय वाले कृषक के पुत्र/पुत्री को अध्ययन शुल्क में एक तिहाई तक छूट दी जाती है, यह सुविधा केवल उन्ही कृषकों के पुत्र/पुत्रियों को उपलब्ध हो सकती है जो 500/- से अधिक मालगुजारी न देते हों। ऐसी सुविधा प्राप्त करने के इच्छुक छात्र अपना आवेदन पत्र निम्नांकित प्रमाण पत्रों के साथ प्राचार्य के पास प्रस्तुत करें -

1. विद्यार्थी के पिता को खेती द्वारा आमदनी का शपथनामा।
2. महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र पूर्ण कर तथा तहसीलदार से प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करें।

2. **भातृ/भगिनी सुविधा-**

यदि महाविद्यालय में दो से अधिक भाई/बहिन नियमित विद्यार्थी हो तो बड़े को पूर्ण शुल्क देना होगा। इसके लिये छात्र प्रवेश के तुरंत बाद आवेदन करें।

3. **शासकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिये सुविधा -**

अ. शासकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों की सुविधा/चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों तथा सभी वर्ग के मृत कर्मचारियों के बच्चों का शिक्षण शुल्क स्नातक स्तर तक माफ रहेगा। माता-पिता का सेवा प्रमाण-पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।

ब. शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा तक वेतन प्राप्त करने वाले द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क से मुक्ति मिलती है।

1. ऐसे छात्रों को निर्धारित प्रपत्र भरकर अपने माता/पिता के विभागीय प्रमुख के प्रमाण-पत्र के साथ प्रवेश के समय प्रस्तुत करना चाहिये।
2. यह सुविधा किसी भी अनुत्तीर्ण छात्र को नही मिलती परंतु उत्तीर्ण हो जाने पर दूसरी कक्षा में पुनः प्राप्त हो सकती है।
3. सदाचार, नियमित उपस्थित एवं संतोषजनक प्रगति के आधार पर ही सुविधा चालू रहेगी। हड़ताल एवं अन्य विध्वंसक कार्यों में भाग लेने वाले छात्रों से यह सुविधा वापस ले ली जावेगी।

4. **छात्र सहायता निधि -**

योग्य तथा निर्धन छात्रों को छात्र सहायता निधि से पुस्तक आदि क्रय करने के लिये सहायता दी जाती है।

Scanned by CamScanner

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये आचरण/संहिता

सामान्य नियम -

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरश: पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नही होनी चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीय व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली-गलोच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नही करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी असामाजिक या अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

अध्ययन संबधी नियम -

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठक की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्ण करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होंगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित दण्ड देना होगा।

Scanned by CamScanner

4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढ़ंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालयों में पंखो, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि को तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम-

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र-

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैंगिग के लिये प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जावेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत जानकारी प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र में उसके पालक अभिभावक का घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

प्रवेश तिथि-

छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्रा को प्रवेश समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना अनविार्य है। प्रवेश समिति द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता, प्रवीण्यता तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन कर तथा प्राचार्य की स्वीकृत मिल जाने पर छात्र/छात्रा को प्रवेश मिल सकेगा। प्रवेश की स्वीकृति मिलते ही छात्र/छात्रा को निर्धारित समयावधि में प्रवेश शुल्क पटाना होगा।

Scanned by CamScanner

प्रवेश पात्रता -

विश्वविद्यालय अधिनियम 8 के अनुसार महाविद्यालय में निम्नलिखित योग्यता वाले छात्र/ छात्रा प्रवेश पा सकेंगे-

1. **बी.ए., बी.कॉम. एवं बी.एस-सी. भाग-1**

   माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर (छ.ग.) या किसी माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

2. **बी.ए.,बी.कॉम. एवं बी.एस-सी. भाग-2**

   क. बी.ए., बी.कॉम. एवं बी.एस-सी. भाग-1 परीक्षा उत्तीर्ण हो, या

   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

3. **बी.ए., बी.कॉम. एवं बी.एस-सी. भाग-3**

   क. विश्वविद्यालय की बी.ए., बी.कॉम. एवं बी.एस-सी. भाग-2 परीक्षा उत्तीर्ण हो, या

   ख. समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

4. **एम.ए., एम.कॉम. एवं एम.एस-सी.- पूर्व**

   क. विश्वविद्यालय की बी.ए., बी.कॉम. एवं बी. एस-सी. भाग-3 परीक्षा उत्तीर्ण हो, या

   ख. समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

5. **एम.ए., एम.कॉम. एवं एम.एस-सी.- अंतिम**

   क. विश्वविद्यालय की एम.ए., एम.कॉम. एवं एम.एस-सी.-पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण हो, या

   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

प्रवेश नियम (Admission Rules)

1. महाविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्र/छात्रा को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर देना होगा। आवेदन-पत्र छात्र एवं पालक के हस्ताक्षर से जमा करना अनिवार्य है।
2. आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
   1. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (Transfer Certificate)
   2. अंक सूची (अंतिम परीक्षा दो प्रतियां) में स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि फोटो स्टेट कापी।

Scanned by CamScanner

3. **चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate)-**

नियमित छात्रों को पूर्व संस्था के प्राचार्य के द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वाध्यायी छात्रों के लिए किन्ही दो उत्तरदायी नागरिकों से चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति संलग्न करें।

4. प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) मूल प्रति गुरूघासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर परिसीमा के बाहर से आये छात्रों के लिए।
5. अंतिम परीक्षा के प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. पासपोर्ट आकार के दो फोटो।
7. जाति प्रमाण -पत्र केवल अनु.जाति. अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए किसी राजस्व अधिकारी या तहसीलदार द्वारा प्रदत्त।
8. जन्मतिथि प्रमाण-पत्र इसके लिए उच्च. माध्य. परीक्षा के प्रमाण-पत्र पर अंकित तिथि मान्य होगी।

परिचय पत्र (Identity Card)

1. परिचय-पत्र महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के लिये अनिवार्य हैं। महाविद्यालय मे प्रवेश करते समय चेक पोस्ट में प्रत्येक छात्र/छात्रा को परिचय-पत्र दिखाना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय में प्रवेश लेते समय आवेदन-पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न कर कार्यलय में देना आवश्यक होगा, ताकि प्रवेश-पत्र के साथ परिचय-पत्र भी प्राप्त हो सके।
3. परिचय-पत्र को सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखना प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है।
4. महाविद्यालय में प्रवेश करते समय, प्रत्येक समारोह एवं उत्सव में सम्मिलित होते समय परिचय पत्र साथ रखना होगा।
5. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी द्वारा परिचय-पत्र की मांग करने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. परिचय-पत्र हस्तांतरण योग्य नही हैं। छात्र को यह निर्देश बाध्यकारी होगा, अन्यथा छात्र दण्ड का अधिकारी होगा।
7. परिचय-पत्र खो जाने पर 10/- रूपये शुल्क तथा दो प्रतियां पासपोर्ट फोटो जमा करने पर पुनः प्राप्त किया जा सकेगा, परन्तु नया परिचय-पत्र, शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।

Scanned by CamScanner

शुल्क विनियम -

1. एक बार कोई शुल्क पट जाने के बाद वह किसी भी प्रकार वापस नहीं हो सकेगा।
2. एक बार किसी छात्र का महाविद्यालय मे प्रवेश हो जाने के पश्चात् शसकीय अनुदान नियमों के अनुसार उसे पूरे सत्र का सभी शुल्क पटाना पड़ेगा, चाहे वह जिस तिथि को प्रवेश ले एवं महाविद्यालय छोड़ दें।
3. संस्था छोडने के दो वर्ष बाद किसी प्रकार की राशि वापस नहीं की जायेगी।
4. छात्रों को सलाह दी जाती है कि शुल्क पटाने के बाद रसीद को ठीक से निरीक्षण करें तथा उसे प्रमाण स्वरूप सुरक्षित रखें। जो भी शुल्क या किसी प्रकार की अन्य धन राशि इस महाविद्यालय में किसी भी छात्र या व्यक्ति के द्वारा जमा की जाये, उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए। अन्यथा उसका उत्तरदायित्व जमा करने वाले व्यक्ति का ही होगी।
5. परीक्षा फार्म जमा करने के पूर्व विश्वविद्यालयीन शुल्क भी जमा करना होगा।

संस्था छोड़ने हेतु नियम :

यदि कोई छात्र मध्य सत्र में संस्था त्यागने और दूसरी संस्था में प्रवेश लेने की इच्छा करता है तो उसे विश्वविद्यालय अधिनियमानुसार निम्न कार्यवाही पूरी करनी होगी।

अ. संस्था त्यागने के उद्देश्य की लिखित सूचना करनी होगी।
ब. समस्त शुल्कों को जमा करना होगा।
स. उक्त संपूर्ण सत्र का पूर्ण शुल्क उसे महाविद्यालय को देना पड़ेगा।
द. महाविद्यालय से प्राप्त अन्य सहायता, नि:शुल्क शिक्षा या छात्रवृत्ति आदि की राशि लौटानी होगी।
च. नि:शेष प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) प्रस्तुत करना होगा।
छ. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र या आचरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति चाहने वाले छात्रो को 10/- रूपये जमा करना होगा।
ज. अवधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने पर टी.सी. लेते समय ही होगी बशर्ते अपनी रसीद प्रस्तुत करें। अवधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने के छ: माह बाद नहीं की जायेगी।

विश्वविद्यालय नामांकन -(नवीन छात्र/छात्राओं हेतु अनिवार्य)

1. विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु समय पर आवश्यक आवेदन-पत्र भर कर नामांकन करा लेने का उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का होगा। प्रवेश के बाद नामांकन फार्म महाविद्यालय में निर्धारित अवधि में भरना होगा।
2. स्नातकोत्तर कक्षाओं की छात्राओं के लिए नामांकन एवं परीक्षा फार्म पृथक से स्वशासी प्रकोष्ठ मे उलपब्ध होगा जिसे छात्रों को स्वयं प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा में जमा करना अनिवार्य होगा।

Scanned by CamScanner

महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी नियम
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

(2015-16 के लिये शासन द्वारा प्रवेश नियमों में जो संशोधन किया जायेगा वह लागू होगा)

1. प्रयुक्ति-

1.1 यह मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा ''प्रवेश'' से आशय स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष/पूर्व में प्रवेश से है।

2. प्रवेश की तिथि-

2.1. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना -

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2. प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना -

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/ बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण -

आवेदक ''क'' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। इसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ''ब'' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ''ख'' ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत् थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नही लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अत: अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

Scanned by CamScanner

2.3 पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना -

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुर्नमूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पूर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण -

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या सीट के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रेल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुये स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारिण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालय में उन्ही निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची -

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण-पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण-पत्रों से मिला कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिए।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर, अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

Scanned by CamScanner

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

5. प्रवेश की पात्रता-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा-

क. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/ राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों या उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

ख. सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश -

क. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस-सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर, नियमित प्रवेश -

क. बी.कॉम./बी.एस-सी (गृह विज्ञान) / बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम/ एम.एस-सी. (गृह विज्ञान)/ एम.ए. पूर्व प्रथम सेमेस्टर एवं आवेदित विषय लेकर, बी.एस-सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस-सी. / एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ग. स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम -

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश-

क. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

Scanned by CamScanner

ख. विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ग. एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सममेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा-

क. विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40 प्रतिशत तथा जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता, वहां 45 प्रतिशत होगी। एल.एल.एम पूर्वार्द्ध में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त आवेदकों ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षा-

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) इंडियन कौंसिल फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई) तथा अन्य राज्यों में विद्यालयों/इंडरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षायें माध्यमिक मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन फॉर युनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं , छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय इग्नू को छोडकर जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते है, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नही है की परीक्षाएं मान्य नहीं है।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थानों की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नही है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त करें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश -

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस-सी./बी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम,द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों /विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावें।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप मे एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालयों से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

Scanned by CamScanner

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता -

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खंड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायि प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वत: निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएं-

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में प्रवेशित होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुन: नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नही लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नही लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों /अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों/ चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने ओर महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले रैगिंग के आरोपी छात्र/ छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/ अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश की आयु सीमा -

क. स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी।

ख. आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

ग. विधि संकाय में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु भी आयु सीमा 30 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनु. जनजात एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी।

घ संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

ड. विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।

Scanned by CamScanner

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता को अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को, विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणनुक्रम का निर्धारण -

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

क. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर, तथा

ख. विधि स्नातक प्रथम वर्ष में संम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम की सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता -

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/ एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 प्रतिशत एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुऐ प्रवेश दिया जावे। आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों मे लागू नही होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय के स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण -

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा -

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् -

Scanned by CamScanner

क. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 32 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

ख. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 12 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

ग. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुप्त संख्या में से 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा। परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतु क में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहां खण्ड क,ख,तथा ग के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 1. बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क,ख, तथा ग के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

2. नि:शक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गो के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु क्रमांक 12.1 के खण्ड क,ख तथा ग के अधीन यथास्थिति उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों के प्राप्तांकों को 10 प्रतिशत अंको का अधिभार देकर दोनों वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जायेगी, शेष संवर्ग की सींटे भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नही होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छुट प्रदान की जाए।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अधीन रहेगा।

13. अधिभार -

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन -पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लगाये जाने वाले वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नही किया जायेगा एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

Scanned by CamScanner

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स-

स्टाउट्स शब्द को स्काउट्स / गाइड्स/रेन्जर्स/सेवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

क.	एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट।	02 प्रतिशत
ख.	एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''बी'' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
ग.	''सी'' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04
घ.	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन..सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04
च.	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./ एन.एस.एस. कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05
छ.	राज्यपाल स्काउट्स	05
ज.	राष्ट्रपति स्काउट्स	10
झ.	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10
य.	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	15
र.	भारत एवं अन्य राष्ट्रो के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिये चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तराष्ट्रीय के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को	15

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक / क्विज/ रूपांकन प्रतियोगिताएं -

1 लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में -

क	प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
ख	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत

2. उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रिय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में -

क	प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
ख	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
ग	संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत

3 भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में -

क	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	15 प्रतिशत
ख	प्रथम,द्वितीय,अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत
ग	क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	10 प्रतिशत

Scanned by CamScanner

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रो के माध्य यूथ अथवा साईस एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र मे चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में -

क. छ.ग/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

ख. प्रथम, द्वतीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन -

क. छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियांड/एशियाड /स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र मे उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है । कि -

1. इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

2 यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे स्नातक द्वतीय,तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन -

स्नातक /स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुए प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्ही विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15. शोध छात्र -

शासकीय महाविद्यालयों महाविद्यालयों में पी-एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपर वाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे।

Scanned by CamScanner

अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत् है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा। महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन-पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्यपूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. **विशेष -**

16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा प्रवेश निरस्त होने अथवा निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरा/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

टीप : शासन द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु इन नियमों में किसी प्रकार का संशोधन होने पर वह लागू होगा।

Scanned by CamScanner

यूथ रेडक्रास सोसायटी

यूथ रेडक्रास सोसायटी इण्डियन सोसायटी की एक शाखा है। 18 वर्ष से 35 वर्ष तक आयु के नियमित छात्र/छात्राऐं एवं महाविद्यालय के प्राध्यापक इसके सदस्य हो सकतें हैं। इस महाविद्यालय में यूथ रेडक्रास यूनिट इंडियन रेडक्रास सोसायटी छत्तीसगढ़ राज्य शाखा से पंजीकृत हैं। इस यूनिट का पंजीयन क्र. 06 जां.-चां./03 हैं। प्रत्येक छात्र-छात्राओं के लिए यूथ रेडक्रास का वार्षिक सदस्यता शुल्क 25/- हैं। जिलाध्यक्ष और मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी के परामर्श एवं मार्गदर्शन में यूथ रेडक्रास यूनिट द्वारा जन स्वास्थ्य तथा सेवा के क्षेत्र में कार्य किये जायेंगे।

जन स्वास्थ्य, गंदी बस्तियों की साफ- सफाई, रोगी कल्याण एवं अहसायों की सेवा, पर्यावरण संरक्षण -संवर्धन तथा प्रदूषण निवारण, प्राकृकि आपदा और दुर्घटना आदि के कारण निर्मित आपातिक स्थितियों के लिए तात्कालिक सहायता यूथ रेडक्रास के सदस्यों के कर्तव्य हैं। साथ ही मानव मूल्यों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मानवतावादी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए विश्व भातृत्व की भावना को बढ़ाने के लिए कार्य करना यूथ रेडक्रास का महत्वपूर्ण कार्य हैं।

यूथ रेडक्रास यूनिट महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास, उनमें स्वप्रेरित सेवाभाव जागृत करने, रोगियों, पीड़ितों, अशक्त तथा असहायों के प्रति संवेदन-शीलता बढ़ाने, कार्यशालाओं का आयोजन करने तथा विश्व भातृत्व की भावना जागृत करने हेतु कार्य करती है।

GNOU अध्ययन केन्द्र - 3507

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चांपा में इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय (मुक्त) विश्वविद्यालय नई दिल्ली इग्नू का अध्ययन केन्द्र संचालित है। इसके अंतर्गत विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रम सहित कुल 24 कार्यक्रम जिनमें स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम संचालित है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे BTS, DNHE, DAFE, DMCH, PGDRD, PGDESD, CDM, CES, CTE आदि पाठ्यक्रम के साथ अन्य पाठ्यक्रम जैसे B.A., B.Com, B.Sc., M.A., (HINDI), M.A. (ENGLISH), BPP के पाठ्यक्रम अध्ययन केन्द्र में संचालित है।

इग्नू अध्ययन केन्द्र में समन्वयक डॉ. यू.एस.कुर्रे तथा सहायक समन्वयक डॉ. व्ही.के. शर्मा कार्यरत हैं। अध्ययन केन्द्र में समय-समय पर काउंसलिंग, इण्डक्सन कार्यक्रम आदि का आयोजन होता है, जिसमें शिक्षार्थी उपस्थित होकर पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी हासिल करते हैं। इग्नू द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन/अध्यापन दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होता है। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर जिले एवं दूर-दराज के शिक्षार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

Scanned by CamScanner

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार वि.वि.रायपुर के अंतर्गत बी.जे.एम.सी. पाठ्यक्रम

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत त्रिवर्षीय (छः सेमेस्टर) स्नातक पाठ्यक्रम बी.जे.एम.सी (बेचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मॉस कम्यूनिकेशन) संचालित है। इस पाठ्यक्रम हेतु कुल 25 सीटें हैं। इस पाठ्यक्रम में प्रति सेमेस्टर कुल 1000/- शिक्षण शुल्क देय होगा ।

खेलकूद

खेल जन्म से मृत्यु पर्यन्त सतत चलने वाली प्रक्रिया है। खेल मनोरंजन के साथ-साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। खेल से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पक्ष मजबूत होता है। शारीरिक उपलब्धि के रूप में खेल से पुष्ट शरीर बनता है, जिसमें उल्लास, एकाग्रता एवं आत्मिक शक्ति बढ़ती है। आर्थिक उपलब्धि के रूप मेंहमने अपने खेल के श्रम का पुरस्कार पाते हैं। सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में हम सामाजिक जीवन, बोध राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं संगठन जैसे बहुमूल्य मानव मूल्यों के स्वामी बनते है।

इस महाविद्यालय का खेलकूद के क्षेत्र में विशेष स्थान है, महाविद्यालय में प्रशिक्षित क्रीड़ा अधिकारी के कुशल निर्देशन में विभिन्न खेलों की सुविधा उपलब्ध है जिनमें प्रमुख रूप से हैण्डबाल, फुटबाल, व्हॉलीबाल, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन, खो-खो, एथलेटिक्स, शतरंज, टेबल टेनिस इत्यादि खेल शैक्षणिक सत्र में सम्पन्न कराये जाते हैं। इस महाविद्यालय द्वारा खेलकूद में अगले स्तर के लिए चयनित खिलाड़ियों को संपूर्ण कोट्स निःशुल्क प्रदान किया जाता है। छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार संपूर्ण शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित होता है। इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा "हेल्थ सेंटर" संचालित है जो कि निर्माणाधीन है। इस महाविद्यालय में 16 स्टेशनरी मल्टीजोम संचालित है, जो इस महाविद्यालय के लिए एक उपलब्धि है। यहां योगा/प्राणायाम का अभ्यास प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा सिखाया जाता है। विशिष्ट स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी छात्र को महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस महाविद्यालय में बैडमिंटन, इंडोरहाल निर्माणाधीन है। महाविद्यालय मे सर्वसुविधायुक्त मैदान हेतु छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। इस महाविद्यालय से आल वि.वि. एवं आल इंडिया प्रतियोगिता के लिए छात्र चयनित होकर महाविद्यालय की गौरव बढ़ा रहे है।

"The weaker the body, the more it commands, The stronger it is betterit obeys."

Scanned by CamScanner

शुल्क विवरण FEE DETAILS

शुल्क	स्नातक		स्नातकोत्तर	
	बी.ए./बी.कॉम.	बी.एस-सी.	ला/वाणिज्य	विज्ञान
शासकीय				
शिक्षण शुल्क	115.0	135.00	144.00	144.00
प्रयोगशाला शुल्क	-	20.00	-	20.00
प्रवेश शुल्क	3.00	3.00	3.00	3.00
लेखन सामाग्री	2.00	2.00	2.00	2.00
	120.00	**160.00**	**149.00**	**169.00**
अशासकीय				
पत्रिका शुल्क	20.0	20.00	20.00	20.00
निर्धन छात्र कल्याण निधि	10.0	10.00	10.00	10.00
महाविद्यालय विकास	50.00	50.00	50.00	50.00
सम्मिलित निधि	34.00	34.00	34.00	34.00
सोसल गेदरिंग	26.00	26.00	26.00	26.00
छात्र कामन रूम (वाचनालय)	25.00	25.00	25.00	25.00
शारीरिक कल्याण	120.00	120.00	120.00	120.00
छात्रसंघ प्रवेश	5.00	5.00	5.00	5.00
परिचय पत्र	10.00	10.00	10.00	10.00
सायकल स्टैण्ड	50.00	50.00	50.00	50.00
वि.वि. युवा गतिविधि शुल्क	1.00	1.00	1.00	1.00
वि.वि. पुस्तकालय शुल्क	20.00	20.00	20.00	20.00
सामान्य छात्र कल्याण निधि	10.00	10.00	10.00	10.00
चिकित्सा	5.00	5.00	5.00	5.00
छात्र संघ (विश्वविद्यालय)	1.00	1.00	1.00	1.00
विभागीय पुस्तकालय	-	-	20.00	20.00
रेडक्रास	25.00	25.00	25.00	25.00
महाविद्यालय आंतरिक परीक्षा शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00
जनभागीदारी शुल्क	250.00	250.00	250.00	250.00
टीप - नये प्रवेश हेतु (प्रथम वर्ष या अन्य विश्वविद्यालय से प्रवेश)				
नामांकन	50.00	50.00	50.00	50.00
अवधान राशि	60.00	60.00	100.00	100.00

नोट : 1 शासन के निर्देशानुसार छात्राओं को शिक्षण शुल्क से मुक्त रखा गया है।

2 अनु. जाति /जनजाति के छात्रों को शिक्षण शुल्क से मुक्त रखा गया है।

Scanned by CamScanner

स्ववित्तीय पाठ्यक्रम
SELF FINANCE COURSE

महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति के प्रस्ताव एवं छ.ग. शासन की अनुमति से स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं -

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	स्थानों की संख्या	पाठ्यक्रम शुल्क	
				स्थानीय विद्यार्थियों के लिए	राज्य से बाहर/NGO पोषित विद्यार्थियों के लिए
1.	पी.जी.डी.सी.ए.	1 वर्ष	50	रू. 7500.00(प्रति वर्ष)	9000.00
2.	एम.एस-सी. (गणित)	2 वर्ष	20	रू. 3000.00(प्रति वर्ष)	4000.00
3.	एम.एस-सी. (रसायन)	2 वर्ष	20	रू. 7500.00(प्रति वर्ष)	9000.00
4.	एम.ए. अंग्रेजी	2 वर्ष	20	रू. 3000.00(प्रति वर्ष)	4000.00
5.	एम.एस-डब्लू. **(MSW)**	2 वर्ष	40	रू. 7500.00(प्रति वर्ष)	9000.00
6.	बी.एस-सी. कम्प्यूटर विज्ञान	3 वर्ष	30	रू. 3500.00(प्रति वर्ष)	4000.00
7.	बी.एस-सी. इंफारमेशन टेक्नोलाजी	3 वर्ष	30	रू. 3500.00(प्रति वर्ष)	4000.00
8.	बी.कॉम. कम्प्यूटर एप्लीकेशन	3 वर्ष	30	रू. 3500.00(प्रति वर्ष)	4000.00
9.	एड. ऑन कोर्स	1 वर्ष			
	(अ) सेरिकल्चर		20	रू. 1000.00(प्रति वर्ष)	
	(ब) औद्योगिक रसायन		20	रू. 1000.00(प्रति वर्ष)	
	(स) एग्रो सर्विसेस		20	रू. 1000.00(प्रति वर्ष)	
10.	बी.जे.एम.सी.	3 वर्ष	25	रू.1000.00(प्रति सेमेस्टर)	

Scanned by CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन की छात्रवृत्तियाँ

क्र.	छात्रवृत्ति	अवधि	आधार	विशेष
1.	प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों के बच्चों के लिये छात्रवृत्तियों	03 वर्ष	1. मा.शि.मंडल छ.ग. की 12वी परीक्षा में 60% अंक से अधिक अंक प्राप्त करने पर। 2. माता-पिता की वार्षिक आय 25000/- तक।	
2.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियाँ	03 वर्ष	1. मा.शि.मंडल छ.ग. की 12वी परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो। 2. माता-पिता/ पालक की वार्षिक आय 25000/- तक हो।	
3.	राज्य शासन की एकीकृत छात्रवृत्तियाँ-			
	1. स्नातकोत्तर योग्यता छात्रवृत्ति	20 माह	1. उपाधि परीक्षाओं में कम से कम 55% अंक प्राप्त किये हो।	
	2. स्नातकोत्तर योग्यता सह-साधक शिष्यावृत्ति	20 माह	1. उपाधि परीक्षाओं में कम से कम 55% अंक प्राप्त किये हो। 2. अभिभावक की आय - 24000/- वार्षिक से अधिक न हों।	
	3. स्नातक योग्यता छात्रवृत्ति	30 माह	1. मा.शि.मंडल छ.ग. की 12वी की परीक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त किये हो।	
	4. स्नातक योग्यता सह-साधक	30 माह	1. मा.शि.मंडल छ.ग. की 12वी की परीक्षा में कम से कम 55% अंक प्राप्त किये हो।	
	5. खेलकूद छात्रवृत्तियां	10 माह	यह छात्रवृत्ति उनके लिये हैं जो छ.ग. की स्कूल टीम में राष्ट्रीय खेल दल में रहे हों या जो प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में पहले तीन स्थानों में से किसी पर रहे हों।	
6.	अपंग/विकलांग छात्रवृत्ति	10 माह	1. पूर्व परीक्षा में कम से कम 40 अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो। माता/पिता/अभिभावक की आय रू. 24000/- वार्षिक से अधिक न हो।	
7.	निर्धन छात्रवृत्ति	10 माह	1. पूर्व परीक्षा में कम से कम 40 अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो। माता/पिता/अभिभावक की आय रू. 6400/- वार्षिक से अधिक न हो।	

टीप - इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को आदिम जाति कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति दी जाती है।

1. संपूर्ण छात्रवृत्तियों के लिये छात्र महाविद्यालयीन सूचनाओं की ओर ध्यान दें तथा कार्यालय से संपर्क बनाये रखें। आवेदन-पत्र के प्रारूप कार्यालय से प्राप्त होंगे।
2. छात्रवृत्तियों के निर्धारित प्रपत्रों में आवश्यक प्रविष्टियाँ पूर्ण कर अपने आवेदन-पत्र निश्चित तिथि तक कार्यालय में जमा कर दें। निश्चित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करना संभव नहीं होगा।

Scanned by CamScanner

अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची - 2015-16

अधिकारियों की सूची

क्र.	नाम	पदनाम	मोबाईल नंबर
1	डॉ. वाय.एन.झा	प्राचार्य, प्राणीशास्त्र	94252-29884
2.	डॉ. बी.डी. दीवान	प्राध्यापक रसायनशास्त्र	94252-30676
3.	डॉ. अल्पना शर्मा	प्राध्यापक भौतिक	80855-50672
4.	प्रो. आर.आर.साहू	सहा. प्राध्यापक गणित	99778-13290
5.	डॉ. एच.एन. भारद्वाज	सहा. प्राध्यापक समाजशास्त्र	98935-30938
6.	डॉ. एस.पी.भारद्वाज	सहा. प्राध्यापक अर्थशास्त्र	81037-77476
7.	डॉ. बी.आर.महिपाल	सहा. प्राध्यापक हिन्दी	99771-85584
8.	डॉ. यू.एस.कुर्रे	सहा. प्राध्यापक अर्थशास्त्र	99932-54327
9.	डॉ. व्ही.एम. दाण्डेकर	सहा. प्राध्यापक वाणिज्य	98936-33666
10.	व्ही.के.शर्मा	सहा. प्राध्यापक वाणिज्य	78986-33848
11.	डॉ. डी.एन.बंजारे	सहा. प्राध्यापक इतिहास	99810-62186
12.	डॉ. मनीष साव	सहा. प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र	93003-23788
13.	डॉ. आनंद यादव	सहा. प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र	97530-73703
14.	प्रो. राजलक्ष्मी सराफ	सहा. प्राध्यापक वनस्पतिशास्त्र	97279-45488
15.	प्रो. राजीव तिवारी	सहा. प्राध्यापक अंग्रेजी	97537-88597
16.	डॉ. विवेक मोहन अग्रवाल	सहा. प्राध्यापक जन्तु विज्ञान	80851-43848
17.	डॉ. भारती शर्मा	ग्रंथपाल	94241-61466
18.	प्रो. एच.आर.पटेल	क्रीड़ा अधिकारी	98930-59277

कर्मचारियों की सूची

1.	श्री के.के. दुबे	सहा.ग्रेड - (I)	94255-39609
2	श्री जे.के. दीवान	सहा.ग्रेड - (III)	94241-45060
3.	श्री संतोष कुमार तिवारी	सहा.ग्रेड - (III)	93002-34145
4.	श्री डी.के.शराफ	प्र.शा.तकनी.	99814-44839
5.	श्री एस.के . सूर्यवंशी	प्र.शा.तकनी.	99937-75770
6.	श्री आर.के. द्विवेदी	प्र.शा.तकनी.	95755-15487
7.	श्री एच.पी.पैकरा	प्र.शा.तकनी.	94255-49557
8.	श्री पी.आर.बघेल	प्र.शा.तकनी.	99261-50762
9.	श्री पी.के. सिंह सिदार	प्र.शा.तकनी.	91796-91257
10.	श्रीमती पूनम पाटले	प्र.शा.परिचारक	96914-01932
11.	श्री संतोष कुमार इजारदार	प्र.शा.परिचारक	93039-38189
12.	कु. आशा उरांव	प्र.शा.परिचारक	78697-39567
13.	श्री सेवाराम बरेठ	बुक लिफ्टर	89598-07051
14.	श्री राज कुमार बघेल	भृत्य	97548-53845
15.	श्री गेंदलाल राजपूत	चौकीदार	99261-74541
16.	श्री विजय बघेल	स्वीपर	74155-94743

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा
जिला : जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

क्र.	संस्था का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी (धारा-5)	अपीलीय अधिकारी (धारा-19)
1.	शास. एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चाम्पा	वरिष्ठ प्राध्यापक	प्राचार्य	अग्रणी महाविद्यालय, जांजगीर

इस कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम् 2005 लागू है।

1.	अभिलेख प्रस्तुत करने का दिन/समय	सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन कार्यालयीन समय में।
2.	सूचना प्राप्त हेतु आवेदन	आवेदन-पत्र दस रूपये शुल्क नगद समुचित रसीद सहित अथवा चालान की प्रति द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम से देय हो, मुख्य शीर्ष 0070, उप मुख्य शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियों के नाम जमा करना होगा
3.	सूचना उपलब्ध कराने का शुल्क	निम्नानुसार मूल्य नगद समुचित रसीद सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के मुख्य शीर्ष 0070, उप मुख्य शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियों में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम से देय हो जमा करना होगा। (क) प्रत्येक ए-4 आकार या ए-3 आकार के कागज के लिए दो रूपये प्रत्येक पृष्ठ अतिरिक्त शुल्क देना होगा। (ख) बड़े आकार के कागज पर प्रति का वास्तविक मूल्य या लागत मूल्य । (ग) नमूना अथवा मॉडल के लिए वास्तविक मूल्य या लागत मूल्य का 50 प्रतिशत। (घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले घण्टे के लिए और उसके पश्चात् के प्रत्येक 15 मिनट (या उसके भाग) के 5/- रूपये का शुल्क। (ड) सी.डी. या फ्लापी में सूचना, उपलब्ध कराने के लिए पचास रूपये प्रति सी.डी./फ्लापी एवं मुद्रित फार्म में सूचना के लिए नियत कीमत।
4.	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्त करने के अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी
5.	आवेदन प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होने पर	अपलीय अधिकारी

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय चांपा, जिला : जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के नियम 16 के अधीन
प्रकाशित एवं नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित जानकारी

पदाभिहित प्राधिकारी का नाम - **डॉ. वाय.एन.झा** पद नाम - **प्राचार्य**

कार्यालय - शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय चांपा, जिला : जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

Ph./Fax: 07819-245807, Mob.: 09425229884, email:gpgc_cph@yahoo.com

क्र.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित प्राधिकारी (पद)	समक्ष अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्राचार्य, शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय चांपा	सभी प्रकार के रिफंड भुगतान	15 दिन	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		महाविद्यालय में प्रवेश के आवेदनों का निपटारा	प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		अ. छात्रवृत्ति स्वीकृति	30 दिन के भीतर	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		ब. छात्रवृत्ति भुगतान	15 दिन	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		पुस्तकों का प्रदाय	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करना	7 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		परिचय पत्र जारी करना	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		छात्रावास में प्रवेश	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
		मार्कशीट, चरित्र प्रमाण पत्र	30 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त

पदाभिहित प्राधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं कक्ष

डॉ. एस.पी.भारद्वाज
सहा. प्राध्यापक अर्थशास्त्र
श्री के.के. दुबे
मुख्य लिपिक (कार्यालय)

Scanned by CamScanner

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैंगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम, 2001

राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में रैंगिंग तथा उससे संबंधित मामलों और आनुषंगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो, अर्थात -

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-**
   (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम , 2001 हैं।
   (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा।
   (3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्ति होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें।
2. **परिभाषाएं - इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -**
   (क) ''रैगिंग'' से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमानया उपहास, अभिदर्शित होता हो, या किसी विधि पूर्ण कार्य करने से प्रतिरत करना आपराधिक दोषपूर्ण अवरोध, परिरोध या उसे क्षति पहुंचाना या उस पर अपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना।
   (ख) ''शैक्षणिक संस्था'' से अभिप्रेत है राज्य की कोई भी शासकीय अथवा अशासकीय शैक्षणिक संस्था।
3. **रैगिंग का प्रतिषेध -**
   किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षता: या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नही लेगा।
4. **दण्ड -** यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 5 वर्ष से अधिक नही होगा या जुर्माना से जो 5 हजार रूपये से अधिक नही होगा या दोनो से दंडित किया जा सकेगा।
5. **अपराध का संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होना -**
   इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा।
6. **अपराधों का विचारण -**
   (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग के न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
   (2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराधों के अन्वेषण, जॉच तथा विचारण में अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) के उपबंध लागू होंगे।
7. **छात्र के निष्कासन के लिये निर्योग्यता-**
   (1) इस अधिनियम के अधीन अन्वेशण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा इसके छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा।
   (2) किसी शैक्षणिक संस्था को कोई छात्र, जो धारा 4 के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिए जिम्मेदार होगा।
   (3) ऐसे छात्र को जो निष्कासित किया गया है जो अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो, किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नही दिया जायेगा।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा (छ.ग.)
Ph./Fax: 07819-245807, Mob.: 09425229884, Email:gpgc_cph@yahoo.com

Scanned by CamScanner